न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच, जिला जालौन।
परिवाद सं0 278/2017
श्रीमती प्रीति खत्री प्रति श्रीमती ज्ञानवती आदि।

धारा–323,504,506 भा0द0सं0
थाना–कोंच जिला जालौन।

आरोप

मैं, पलाश गांगुली, न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच, आप अभियुक्तगण **ज्ञानवती व ओमप्रकाश** पर निम्न आरोपो से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 18.05.2017 को समय सुबह 8 बजे, स्थान मकान परिवादिनी, स्थित मुहल्ला मालवीय नगर, कोंच जिला जालौन में आप लोगो ने परिवादिनी को मार पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने परिवादिनी को अपमानित करने के उद्देश्य से गालियां दी, जिससे कि वह उत्तेजित होकर लोकशांति भंग करने पर अमादा हो जाए। इस प्रकार आप लोगों ने भा0द0सं0 की धारा–504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने परिवादिनी को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप लोगों ने भा0द0सं0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
दिनांक 19.10.2021

(पलाश गांगुली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोंच, जिला जालौन।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की याचना की।
दिनांक 19.10.2021

(पलाश गांगुली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोंच, जिला जालौन।